...नपुरास (जिला-स०मा०)

14/11/19 पत्रावली पेश हुई। वकील उभय पक्ष उप०। बहस वकील उभय पक्ष की सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया। वकील सायल की ओर से बहस पेश की गई कि विवादित भूमि हमारी पैत्रिक संपत्ति है। जो कि हमारे पिता जगदीश के नाम खातेदारी भूमि नाम दर्ज है। जो कि गैर सायल न. 1 के नाम से पार्टी दर्ज है। हमारी पैत्रिक भूमि से गैर सायल न. 1 जगदीश ने ~~ब~~ रकबा 2.24 हेक्टर भूमि रमा पुत्री पुखराज व रकबा 2.46 हेक्टर भूमि श्रीमति सुरेशी W/o

जिला कलेक्टर
...नपुरास (जिला-स०मा०)

पुत्र राज जाति मीना निवासी ... तहसील बामनवास को बेचान कर दी गई है। अतः गैर सायल वर्गो को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जावे कि वह ग्राम सीतापुरा की आ. ख.न. भूमि 91, 104, 137, 138, 217, 398, 453, 219, 375, कुल किता 9 रकबा 8.86 हैक्टर व ख.न. 136 141 कुल किता 2 रकबा 2.24 हैक्टर को रहनबय या किसी अन्य तरीके से हस्तां. नहीं करने बाबत एवं रिकार्ड मौके की यथा स्थिति बनाये रखने बाबत पाबंद किया जावे।

वकील गैरसायल ने अपनी बहस पेश की गई कि सायल द्वारा जो दावा पेश किया गया है यह पैत्रिक भूमि होना स्वीकार है। किन्तु विवादित भूमि हमारे नाम से खातेदारी भूमि राजस्व रिकार्ड में दर्ज है। हमारे द्वारा क्रय की गई भूमि को छोड कर शेष बची पैत्रिक भूमि से सायल द्वारा अपना हिस्सा लिया जाता है तो हमारे को कोई आपत्ति नही है। यदि सायलगण को क्रय की गई भूमि पर कोई आपत्ति है तो रजिस्ट्री केन्सीलेसन का दावा सक्षम न्यायालय में वाद पेश करना चाहिए था। किन्तु सायलगण द्वारा आज दिनांक तक रजिस्ट्री केन्सीलेसन का दावा सक्षम न्यायालय (सिविल कोर्ट) में पेश नहीं किया गया। रजिस्ट्री केन्सीलेसन के अधिकार राजस्व न्यायालय को नहीं होकर सिविल न्यायालय को सुनवाई का अधिकार है। ऐसी स्थिति में विवादित भूमि पर जारी अस्थाई निषेधाज्ञा आदेश को खारीज किया जावे। ताकि हमारे द्वारा क्रय की भूमि का अमल राजस्व रिकार्ड कराया जा सके। क्रय शुदा भूमि के अलावा शेष बच रही भूमि का यदि सायलगण / गैर सायल के मध्य विभाजन किया जाता है तो हमारे को कोई आपत्ति नही है।

हमारे द्वारा वकील उभयपक्ष की बहस सुनी जाकर बहस पर मनन किया गया तथा पत्रावली

उप जिला कलक्टर
बामनवास (जिला-स०मा०)

को अवलोकन किया गया। मुताबिक राजस्व रिकार्ड जमाबंदी ग्राम सीतापुरा तहसील बामनवास के अनुसार संवत 2069-72 के खाता संख्या नया 44 पुराना 39 के अनुसार विवादित आ.ख.न. 91, 104, 137, 138, 217, 398, 453, 219, 375 कुल किता 9 रकबा 8.86 हेक्टर व ख.न. 136, 141 कुल किता 2 रकबा 2.24 हेक्टर गैर सायल न. 1 जगदीश पुत्र बदरी जाति खाती निवासी सीतापुरा के नाम खातेदारी भूमि होना राजस्व रिकार्ड से सिद्ध है। जिससे सायल / गैर सायल की पैतृक भूमि होना मानते है। किन्तु वकील गैर सायल ने अपनी बहस में अवगत कराया कि विक्रय पत्र से सबंधित केन्सीलेशन का दावा सुनवाई का अधिकार राजस्व न्यायालय को नही होकर सिविल न्यायालय को है। रजिस्ट्री केन्सीलेशन का दावा सक्षम न्यायालय (सिविल न्यायालय) में पेश किया जाना चाहिए था। वकील सायल ने अपनी बहस में अवगत कराया है कि हमारे द्वारा रजिस्ट्री केन्सीलेशन का दावा सिविल न्यायालय में पेश नही किया गया है। हमारे द्वारा आगे और पैतृक संपत्ति नही बिके इस लिए राजस्व न्यायालय मे वाद दायर कर गैर सायल वगै. को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद कराना चाहते है।

-: आदेश :-

वकील उभय पक्ष को सुना जाकर आदेश दिये जाते है कि ग्राम सीतापुरा की आ.ख.न. 91, 104, 137, 138, 217, 398, 453, 219, 375 कुल किता 9 रकबा 8.86 हेक्टर ख.न. 136, 141, कुल किता 2 रकबा 2.24 हेक्टर मे गैर सायल न. 1 जगदीश पुत्र बदरी द्वारा गैर सायल न. 5 रमा पुत्री पुखराज व गैर सायल न. 7 सुरेशी w/o पुखराज मीना निवासी बा.प.-कलां को जो भूमि विक्रय की गई है उस भूमि के हिस्से तक T.I आदेश खारीज किया जाता है। तथा विक्रय के बाद गैर सायल न. 1 के हिस्से में जो शेष भूमि रहती है। उस भूमि पर मूल दावे के निस्तारण तक गैर सायल वगै. को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से

उप जिला कलक्टर
बामनवास (जिला-स०मा०)

पाबंद किया जाता है कि गैर सायल नं. 2 जगदीश पुत्र बद्री जाति खाती निवासी सीतापुरा तहसील- ब्रामनवास के हिस्से शेष बच रही भूमि को रहन, बय, हस्तानान्तरण आदि नहीं करे। एवं रिकार्ड मौके की यथा स्थिति बनाये रखे। प्रार्थना पत्र T.I फैसल शुमार होकर बाद तकमील दफ्तर दाखिल की जावे। तथा मूल दावे की पत्रावली के साथ सलंग्न रहे।

यह निर्णय आज दिनांक 14.11.2019 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उप जिला कलक्टर
ब्रामनवास (जिला-स०मा०)

Signature Not Verified
Digitally signed by Hemraj Paridwal
Date: 2019.12.04 14:59:16 IST
Reason: SelfAttested
Location: